समाचार.प्रकाषनार्थरू.

मा0 मुख्यमंत्री जी आज प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को करेंगे लाभ वितरण

रतलाम 22 फरवरी । माननीय मुख्यमंत्रीजी श्री षिवराज सिंह जी चौहान आज 23 फरवरी बुधवार को अपरान्ह 3 बजे भोपाल के मिन्टो हॉल से प्रधानमंत्री आवास योजना ;षहरीद्ध अन्तर्गत पात्र हितग्राहियों को कार्य की प्रगति के आधार देय किष्तों ;प्रथमए द्वितीय एवं तृतीयद्ध का सिंगल क्लिक द्वारा वितरण साथ ही भूमि.पूजन व ग्रह.प्रवेष करायेंगे साथ ही चिन्हीत हितग्राहियों से सीधा संवाद करेंगे। आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण गुलाब चक्कर में आयोजित किया गया है।
गुलाब चक्कर में आयोजित कार्यक्रम में हितग्राहियों को लाभ वितरण किया जायेगा साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमए स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रमए स्वच्छता में उत्कृश्ट कार्य करने वाले नागरिकए स्वंय सेवी संस्थाऐंए सफाई मित्र आदि का सम्मान एवं पुरस्कृत किया जायेगा जिसमें जनप्रतिनिधिए गणमान्य नागरिकए नागरिकए अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहेंगे।

दुकान किराये की बकाया राषि जमा नहीं कराने पर दुकान की सील

रतलाम 22 फरवरी । नगर निगम स्वामित्व की दुकानों के ऐसे दुकानदार जो कि दुकान किराये की बकाया राषि जमा नहीं करा रहे है ऐसे बड़े बकायादारों की दुकान सील करने की कार्यवाही नगर निगम द्वारा प्रारंभ कर दी गई है।
बकाया राषि जमा नहीं कराने वाले बड़े बकायादारों की दुकान सील करने की कार्यवाही के तहत सायर चबुतरा चौराहे पर नथमल.मोतीलाल पर दुकान किराये की बकाया राषि रूपये 1ए27ए777ध्. होने व राषि जमा नहीं कराने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार नगर निगम के राजस्व अमले द्वारा दुकान को सील किया गया।

प्रताप नगर ओवर ब्रीज के नीचे से हटाया अतिक्रमण

रतलाम 22 फरवरी । प्रताप नगर ओवर ब्रीज के नीचे व सड़क के दोनो ओर स्थाई अतिक्रमण को निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते ने अतिक्रमण हटाकर गुमटियां व अन्य सामग्री जब्त की।

अतिक्रमण दस्ते ने निगम आयुक्त श्री झारिया के निर्देषानुसार प्रताप नगर ब्रीज के नीचे रोड साईड में खराब मारूती वेन क्रेन के माध्यम से हटाकर जब्त किया गया। इसके अलावा रोड साईट में टीन षेड हटाया गया इसके अलावा 4 गुमटियां व अन्य सामान हटाकर जब्त किया गया। ब्रीज के नीचे व सड़क के साईड में अतिक्रमण होने से आवागमन में परेषानी होने के साथ ही अतिक्रमणकर्ताओं द्वारा गंदगी भी की जा रही थी।

उक्त कार्यवाही के दौरान अतिक्रमण दस्ता प्रभारी श्री राजेन्द्र मिश्राए उपयंत्री श्री ब्रजेष कुषवाहए सुश्री दीक्षा निजामपुरकर सहित अतिक्रमण दल उपस्थित था।

नगर निगम के विभिन्न करों से 13ण्58 लाख हुआ राजस्व प्राप्त

रतलाम 22 फरवरी । संपत्तिकरए जलकरए लायसेंसए राजस्वए विकास षाखाए बिल्डिंग परमिषन के तहत नागरिकों द्वारा जमा कराये गये करो के तहत 22 फरवरी मंगलवार को कुल राषि रूपये 13ए58ए064ध्. का राजस्व प्राप्त हुआ।

नगर निगम के विभिन्न करों के तहत 22 फरवरी मंगलवार को संपत्तिकर षिविर से 128872ए कार्यालय 395483ए वसूली दल 418269 कुल 942624ए जलकर षिविर 40160ए कार्यालय 10580ए वसूली दल 272960 कुल 323700ए दुकान गुमटी किराया कार्यालय 524 वसूली दल 38076 कुल 38600ए लीजरेंट 51140 व स्पॉट फाईन 2000 इस तरह कुल राषि रूपये 13ए58ए064ध्. का राजस्व निगम को प्राप्त हुआ।

22 फरवरी को 85 टन कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 22 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर.घर से पृथक.पृथक एकत्रित किया

जा रहे गीले.सूखे कचरे व सड़को व नाले.नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टेª चिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 22 फरवरी मंगलवार को 85 टन कचरा जुलवानिया टेª चिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

22 फरवरी मंगलवार को डम्पर से 32415ए टेª क्टर से 11400ए काम्पेक्टर सूखा कचरा 16340ए काम्पेक्टर गीला कचरा 20400ए मैजिक सूखा कचरा 2905 व मैजिक गीला कचरा 2020 किलो इस तरह कुल 85480 किलो कचरा जुलवानिया टेª चिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

26 सफाई मित्रों का 1 दिवस एक दिवस का वेतन काटा

दोपहर में अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों का कटेगा पुरे दिन का वेतन

बिना सूचना के 3 दिवस लगातार अनुपस्थित रहने कर्मचारी होगें सेवा से बर्खास्त

रतलाम 22 फरवरी । कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार वार्डो में स्वच्छता पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त पर्यवक्षकों द्वारा वार्डो में प्रातः 6 व दोपहर 2 बजे सफाई मित्रों की उपस्थिति को चेक किया गया जिसके तहत प्रातः 11 व दोपहर में 1 सफाई मित्र बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार एक व आधे दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्तध्निलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। ऐसे सफाई मित्र जो कि प्रातः की षिफ्ट में उपस्थित रहते हैं व दोपहर की षिफ्ट में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर संबंधित का पुरे दिवस का वेतन काटा जायेगा।

22 फरवरी मंगलवार को वार्डो मंे सफाई मित्रों की उपस्थिति के दौरान प्रातः झोन क्रमांक 1 में रविन्द्र.मॉगीलालए सुनील.षंकरलालए संजय.बालूए झोन क्रमांक 2 में सुनील.ष्यामलालए सोमदीप.सुदेषए वर्शाबाई पिता पवनए षकुन्तलाबाई पति अर्जूनए षुगनाबाई पति षंकरए झोन क्रमांक 3 में चन्द्राबाई पति नन्दकिषोरए प्रमोद.

जगदीषए अनिताबाई पति राजकपूरए झोन क्रमांक 4 में लताबाई पति बंषीलालए जितेन्द्र.बेजूलाल। दोपहर की उपस्थिति के दौरान झोन क्रमांक 1 में निर्मलाबाई पति मोहनए राधाबाई पति हिम्मतए झोन क्रमांक 2 में सरस्वती पति धनराजए सीमाबाई पति रमेषए महेन्द्र.नेहरूए अरूणाबाई पति रामसिंहए राजाबाई पति बाबुलालए संजय.बच्चुए कृशणाबाई पति बसंतीलालए झोन क्रमांक 3 में मायाबाई पति प्रभुदयालए राजू.हरीलालए झोन क्रमांक 4 कांतीलाल.छोटू व दिनेष.बाबुलाल इस तरह 26 कर्मचारी बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्तध्निलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

ऐसे सफाई मित्र जो कि बिना सूचना के लगातार तीन दिवस तक अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहते है उन्हे सेवा से बर्खास्तध्निलबंन की कार्यवाही की जायेगी।

सिंगल यूज प्लास्टिक सामग्री निर्माण करने वाले 8 व्यक्तियों पर जुर्माना

100 मॉईक्रान से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित

रतलाम 22 फरवरी । रतलाम नगर को स्वच्छ व सुन्दर बनाये जाने हेतु नगरीय क्षेत्र रतलाम में 100 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक ;प्लास्टिक स्टीक सहित ईयर बर्डए बैलून में उपयोग होने वाले प्लास्टिक स्टिकए प्लास्टिक झण्डेए कैंडी स्टिकए आईस्क्रीम स्टीकए सजावट में उपयोग होने वाले थर्मोकोलए प्लास्टिक प्लेट्सए कपए ग्लासए फोर्कए चम्मचए चाकूए स्ट्राए टेª ए स्वीट बाक्सए निमंत्रण पत्रए सिगरेट पैकेट को कव्हर करने वाली पैकिंग फिल्मए प्लास्टिक स्टिर्रस व 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक व पीबीसी के बैनरद्ध के उपयोग को मध्यप्रदेष प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड व कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

अभियान के तहत पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक निर्माणकर्ता विरेन्द्र पुरोहितए नेहा सोनीए निषी कसेराए दिलीप मोदियानीए तरूण बैरागीए रिंकी चौरसियाए माधुरी सोनी व क्रिया प्लास्टिक पर 500.500 रूपये का जुर्माना कर पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिकए डिस्पोजल निर्माण ना करने की समझाईष दी।

रतलाम नगर के समस्त प्लास्टीक ;पॉलीथीनद्ध निर्माताए भण्डारकर्ताए विक्रेताए दुकानदार एवं उपयोगकर्ता 100 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक का ना तो उत्पादन करें एव ंना ही भण्डारणए विक्रय तथा उपयोग करें। उपरोक्त का उल्लघंन किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

नगर के नागरिकों से अनुरोध है कि प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करें एवं इनके स्थान पर कपड़े एवं कागज से निर्मित थैलियों का उपयोग कर नगर को स्वच्छए सुन्दर बनाने तथा पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपना सहयोग प्रदान करें।

स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेषियो को पकड़ने का अभियान निरंतर जारी
1386 मवेषियों को पकड़कर नगर के बाहर की गौषालाओं में भेजा

रतलाम 22 फरवरी । नगर को साफ.स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानोए सड़कोए चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेषियों को पकड़कर गौषालाओं में भेजा जा रहा है जिसके तहत 1386 मवेषियों को पकड़कर जिले की गौषालाओं में भेजा गया।

कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 22 फरवरी तक 1386 मवेषियों को पकड़ा जाकर गौषालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 22 फरवरी को राम मंदिरए पोलोग्राउण्डए गीता मंदिर रोड व महलवाड़ा से 6 मवेषी निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोडेगा व उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पंहूचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड किये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राषि रूपये 500६ वसूल करेगा

ष्वान पालकों को अपने ष्वान का रजिस्ट्रेषन अनिवार्य रूप से करायें
रजिस्ट्रेषन नहीं कराने पर संबंधित के विरूद्ध होगी दण्डात्मक कार्यवाही
रतलाम 22 जनवरी । नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत नगरीय क्षेत्र रतलाम में निवासरत् ऐसे नागरिक जो कि अपने घरों में ष्वान पालते हैं वे अपने ष्वान का रजिस्टेªषन नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की लायसेंस षाख में अनिवार्य रूप से करायें अन्यथा संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र अन्तर्गत ष्वान पालकों द्वारा अपने ष्वान को गले में बिना पट्टा डाले अथवा अन्य चिन्हों के बिना आवारा ष्वान की भांति छोड़ दिया जाा ह तथा आम नागरिकों में भय का वातावरण निर्मित होता है ऐसे ष्वानों एवं ष्वान मालिकों के लिये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत अनिवार्य किया गया है। ऐसे ष्वान पालक जिन्होने अपने ष्वान का रजिस्टेषन नहीं कराया है उन्हे नगर निगम द्वारा सूचना.पत्र जारी किये जा रहे है रजिस्टेªषन नहीं कराने वाले ष्वान पालकों के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
ष्वान पालक को नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत लायसेंस षाखा में प्रति ष्वान पंजीयन षुल्क रूपये 1000६ एवं लायसेंस षुल्क रूपये 500६ प्रति ष्वान तथा लायसेंस नवीनीकरण हेेतु प्रतिवर्श 100६ रूपये जमा कराना होगा। ष्वान पालकों को अधिकतम् 2 ष्वान पालने की अनुमति प्रदान की जावेगी।

नगर निगम द्वारा ष्वान पालकों से अपील की जाती है कि वे अपने ष्वान का रजिस्ट्रेषन नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत लायसेंस षाखा में अनिवार्य रूप से करावें तथा अपने ष्वान के गले में पट्टा डालकर रखें व अन्य पहचान चिन्ह लगावें।

षास्त्री नगर में आज लगेगा निगम का बकाया वसूली षिविर
नगर निगम द्वारा वार्ड वार बकाया वसूली षिविरो का आयोजन
नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए संपत्तिकर 84ण्6 लाख व जलकर 21ण्15 लाख की बकाया राषि जमा कराई

रतलाम 22 फरवरी । नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली षिविर आयोजित किये गये है जो 03 मार्च 2022 तक चलेंगे।
आयोजित षिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरणए जलकरए दुकानए गुमटी कियायाए लायसेंस षुल्क एवं विकास षाखा से संबंधित भवन की किष्त तथा भू.भाटक की बकाया राषि जमा करा सकेगें।
निगम द्वारा आयोजित षिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर षिविर में संपत्तिकर 3ए28ए822रू व जलकर 54ए850रू.ए मालवा नगर लक्ष्मणपुरा षिविर में संपत्तिकर 1ए62ए575रू व जलकर 34ए520रू.ए जवाहर नगर अम्बे माता मंदिर के पास षिविर में संपत्तिकर 3ए02ए013रू व जलकर 63ए450रू.ए विनोबा नगर षिविर में संपत्तिकर 1ए85ए292रू व जलकर 1ए19ए720रू.ए अलकापुरी कम्युनिटी हॉल षिविर में संपत्तिकर 3ए20ए857रू व जलकर 62ए950रू.ए तिरूपति नगर षिविर में संपत्तिकर 1ए28ए977रू व जलकर 28ए870रू.ए कोमल नगर षिविर में संपत्तिकर 2ए16ए000रू व जलकर 14ए000रू.ए इन्द्रलोक नगर मार्निंग स्टार स्कूल के पास षिविर में संपत्तिकर 2ए51ए600रू व जलकर 1ए04ए640रू.ए कस्तुरबा नगर षिविर में संपत्तिकर 8ए61ए206रू व जलकर 1ए21ए090रू.ए प्रियदर्षनी नगर षिविर में

संपत्तिकर 2ए14ए000६ व जलकर 47ए000६ए डोंगरे नगर षिविर में संपत्तिकर 2ए54ए422६ व जलकर 83ए700६ए हाट रोड षिविर में संपत्तिकर 1ए71ए500६ व जलकर 27ए540६ए कलीमी कालोनी षिविर में संपत्तिकर 1ए96ए281६ व जलकर 40ए240६ए राजेन्द्र नगर षिविर में संपत्तिकर 1ए45ए000६ व जलकर 31ए760६ए काटजू नगर षिविर में संपत्तिकर 3ए36ए077६ व जलकर 72ए440६ए वेदव्यास कालोनी षिविर में संपत्तिकर 98ए534६ व जलकर 37ए465६ए कल्याण नगर षिविर में संपत्तिकर 87ए732६ व जलकर 36ए660६ए दीनदयाल नगर षिविर में संपत्तिकर 2ए91ए455६ व जलकर 92ए125६ए बोहरा बाखल षिविर में संपत्तिकर 4ए97ए298६ व जलकर 64ए770६ए रामगढ़ षिविर में संपत्तिकर 1ए59ए241६ व जलकर 28ए140६ए लक्कड़पीठा षिविर में संपत्तिकर 6ए11ए920६ व जलकर 1ए56ए600६ए धानमण्डी षिविर में संपत्तिकर 3ए60ए338६ व जलकर 1ए67ए280६ए किरण टॉकिज षिविर में संपत्तिकर 3ए89ए541६ व जलकर 76ए625६ए आनन्द कालोनी षिविर में संपत्तिकर 1ए20ए807६ व जलकर 37ए520६ए प्रताप नगर षिविर में संपत्तिकर 1ए91ए836६ व जलकर 72ए860६ए महावीर नगर षिविर में संपत्तिकर 87ए741६ व जलकर 37ए140६ पैलेस रोड षिविर में संपत्तिकर 2ए81ए036६ व जलकर 89ए570६ए चौगानिया भैरू मंदिर के पास षिविर में संपत्तिकर 91ए157६ व जलकर 46ए510६ए सायर चबुतरा षिविर में संपत्तिकर 1ए62ए036६ व जलकर 1ए05ए060६ए चौमुखी पुल षिविर में संपत्तिकर 5ए20ए421६ व जलकर 1ए62ए610६ए बजाजखाना षिविर में संपत्तिकर 3ए19ए606६ व जलकर 98ए030६ की राषि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली षिविरो के वार्ड क्रमांक 33ए 34 व 35 के लिये 23 व 24 फरवरी को षास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पासए वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 25ए 26 व 28 फरवरी को दो बत्ती चौराहाए वार्ड क्रमांक 30ए 31ए 32 व 34 के लिये 1 से 3 मार्च तक स्टेषन रोड दिलबहार चौराहे पर कार्यालयीन समय में षिविर आयोजित किये गये है।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त षिविर बकायादारों की सुविधा के लिए आयोजित किये गये है इन आयोजित षिविरों में बकायादार अपनी बकाया राषि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

बिना अनुमति व अनुमति के विपरित 10 के स्थान पर 30 प्रतिषत अवैध निर्माण का होगा प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध

28 फरवरी तक प्रषमन षुल्क में दी जा रही 20 प्रतिषत छूट

रतलाम 22 फरवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध के तहत 10 प्रतिषत के स्थान पर 30 प्रतिषत सीमा तक हुए अवैध निर्माण का प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध किया जा सकेगा। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग षुल्क में 28 फरवरी तक 20 प्रतिषत की छूट प्रदान की जा रही है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि मध्यप्रदेष षासन द्वारा नगरीय क्षेत्र में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध हेतु नियमों में संषोधन कर अब 10 प्रतिषत के स्थान पर 30 प्रतिषत की सीमा तक हुए अवैध निर्माण को नियमित करने का प्रावधान किया गया है। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग षुल्क में 28 फरवरी तक 20 प्रतिषत की छूट प्रदान की जा रही है।

रतलाम नगरीय क्षेत्र में उपरोक्त प्रकार के सभी भवनों के लिये अपने अवैध निर्माण को वैध कराने का यह सुनहरा अवसर है। नगर निगम द्वारा इस हेतु प्रमुख व्यावसायिक भवनों को सूचना पत्र भी दिये गये है।

कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया उपरोक्त प्रकार के सभी भवन स्वामियों से अपील की है कि बिना अनुमति या अनुमति के विपरित बने अपने भवनों का प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध 28 फरवरी के पूर्व करवाकर अवैध निर्माण के विरूद्ध होने वाली किसी भी संभावित कार्यवाही बचें।

3141 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए

स्वरोजगार ऋण से 112 हितग्राही हुए लाभान्वित

पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 22 फरवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यषील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विषेश अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु 2636 हितग्राहियों को राषि रूपये 10ए000ध् तथा द्वितीय कार्यषील पूंजी हेतु 205़ हितग्राहियों को राषि रूपये 20ए000ध् ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 107 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 5 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवष्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्डए पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही

15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राषि होगी वसूल

रतलाम 22 फरवरी । षहर की मुख्य सड़के सैलाना रोडए सागोद रोडए महू रोडए स्टेषन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ

झारिया के निर्देषानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राषि वसूल की जायेगी।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देषित किया है षहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राषि वसूल की जाये।
नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 22 फरवरी । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकोंए दुकानदारोए व्यावसायिक प्रतिश्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 22 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देषित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक

कचरा संग्रहण करना सुनिष्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देषित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया कि दोनो पालियों मंे वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कषॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देषित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 22 फरवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण.2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर.1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले.नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले. नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।
वार्डो की समुचित साफ.सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें

यदि वार्डो में साफ.सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचारध्जणसंणविणध्हेमन्तध्22ण02ण2022ध्नणपाणनिगमए रतलामण